भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 96/सेक (विशेष)/6/30 नई दिल्ली, दि 19-7-96

स्थायी आदेश सं. 14

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आर पी एफ, सब क्षेत्रीय रेलें
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आर पी एस एफ, रेलवे बोर्ड
मंडल सुरक्षा आयुक्त/सब रेलें और कमांडिंग अफसर-सब बटालियनें

यह देखा गया है कि बदलाव लेखा पर रेलवे सुरक्षा बल वाहनों के प्रापण के लिए मशीन और संयंत्र कार्यक्रम में शामिल प्रस्ताव महाप्रबन्धकों द्वारा रेलवे बोर्ड को सीधे भेजे जाते है। महानिदेशक के कार्यालय के लिए ऐसे प्रस्तावों को मानीटर करना और सुरक्षा विभाग के मामले को रेलवे बोर्ड के सामने प्रभावी और युक्तियुक्त ढंग से प्रस्तुत करना मुश्किल हो जाता है। वाहनों के बहुत से बक्लाव गत कई वर्षों से लंबित हैं क्योंकि सी एस सी ने अपने महाप्रबन्धकों के माध्यम से जो प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजे हैं उनकी महानिदेशक के कार्यालय को कोई जानकारी नहीं है। सी एस सी ऐसी व्यवस्था करें कि बदलाव लेखा पर वाहनों के प्रापण के लिए प्रस्ताव महाप्रबन्धक सीधे डी जी/आर पी एफ को भेजें ताकि प्रत्येक प्रस्ताव को व्यक्तिगत रुप से देखा जाए और रे. सु. ब. की अपर्याप्त गतिशीलता की गंभीर कठिनाई को कुछ हद तक आसान बनाया जाए।

यह भी हिदायत दी जाती है कि वरदियों और उपस्करों के प्रापण के लिए मांगपत्र संबंधित रेलों के भण्डार नियन्त्रक रेलवे बोर्ड को केन्द्रीय प्रापण के लिए भेजते हैं तो इसे भी सीधे डी जी/आर पी एफ को भेजा जाए। इससे इन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और उन्हें मानीटर करने में डी जी के कार्यालय को सहायता मिलेगी। उपर्युक्त के अभाव में, बहुत से उदाहरण सामने आए हैं जहां मांगपत्र बोर्ड कार्यालय में, लंबित हैं और उसकी डी जी के कार्यालय को जानकारी नहीं। सारे भारत में आर पी एफ स्टाफ को समय पर अच्छी क्वालिटी की वरदियां सप्लाई करने की आवश्यक मांग को प्राथमिकता दी जानी है। इसे ध्यान में रखते हुए सब सी एस सी इस प्रकार की व्यवस्था करें कि वर्दियों और उपस्करों के सब मांगपत्र महाप्रबन्धक द्वारा सीधे डी जी/आर पी एफ को भेजे जाएं

जोगिन्दर सिंह

महानिदेशक/आर पी एफ